निर्णय वइजलास श्रीमती मनीषा तिवारी आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 23/18
दायरा दिनांक 29.08.2018
निर्णय दिनांक 14.12.2020

उनवान

कन्हैयालाल पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जैपला तहसील छबडा जिला बारां राज0 ....प्रार्थी

:– बनाम :–

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट
निर्णय दिनांक 14.12.2020

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूध्द अप्रार्थी गण के इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 32/30 की खसरा नंबर 487/1 रकबा 03.01 बीघा भूमि वाके ग्राम जैपला तहसील छबडा मे स्थित है।

उक्त आराजी नकल जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी कन्हैयालाल के पिता का नाम देवीलाल लिखा हो गया है, जबकि प्रार्थी के पिता का नाम देवीसिंह है, जो राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हो गया है।

प्रार्थी के पिता का नाम राशनकार्ड आईडी आधार कार्ड में कन्हैयालाल पुत्र देवीसिंह है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी की जानकारी दिनांक 13.08.2012 को नकल जमाबंदी लेने पर जानकारी मिली कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में देवीसिंह के स्थान पर देवीलाल कर दिया है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण अंतिम बार तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देने पर तहसीलदार द्वारा 136 एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश करने की कहने पर दिनांक 13.08.2018 को उत्पन्न हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमाबंदी राजस्व रिकार्ड ग्राम जैपला की खाता [illegible] 32 [illegible] की [illegible]सरा नंबर 487/1 रकबा 03.01 बीघा मे प्रार्थी खातेदार का नाम कन्हैयालाल पुत्र देवी[illegible] राजपूत निवासी ग्राम जैपला

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:55:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जैपला करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को जरिये संबध तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार छबडा से वस्तु स्थिति कि रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी के वर्तमान खाता सं. 33 जमाबंदी 2074–2077 के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के खाते में वर्तमान कन्हैयालाल पुत्र देवीलाल राजपूत दर्ज हो रहा है जो कि इंतकाल के समय से ही चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की जांच करने पर पाया कि प्रार्थी का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत है एवं वर्तमान में खाता सं. खसरा नं. 487/1 रकबा 3.01 बीघा भूमि पर कन्हैयालाल पुत्र देवीसिंह का ही कब्जा काश्त है। अतः उक्त दोनों व्यक्ति एक ही है। अतः प्रार्थी का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पुत्र देवीलाल जाति राजपूत के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र देवीलाल उर्फ देवीसिंह जाति राजपूत दर्ज किये जाना न्यायोचित होगा।

–क्रियात्मक आदेश–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जैपला के खाता संख्या 32/30 खसरा नं. 487/1 रकबा 3.01 बीघा पर प्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र देवीलाल जाति राजपूत के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र देवीलाल उर्फ देवीसिंह जाति राजपूत निवासी जैपला राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:55:19 IST
Reason: SelfAttested